राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांकः एफ 40(91)ग्रावि/नरेगा/कन्वर्जेस–खेल विभाग/2015 जयपुर, दिनांक : 03 JUN 2015

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत मॉडल स्कूलों में खेल मैदान के विकास एवं वृक्षारोपण बाबत।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.15 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के 186 पंचायत समिति स्तरीय एवं 9900 ग्राम पंचायत स्तरीय मॉडल स्कूलों के खेल मैदानों का विकास एवं वृक्षारोपण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना से किया जायेगा। इस संबंध में लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की दिनांक 03.01.14 को संशोधित अनुसूची 1 के बिन्दू सं. 4(1) IV (iii) अनुसार खेल के मैदानों का संनिर्माण अनुमत है।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.04.15 (प्रति संलग्न) द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के युवा मामले एवं खेल विभाग की राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA) से कन्वर्जेस कर पंचायत समिति स्तर पर खेल मैदान विकसित किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। अतः इन दिशा निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति स्तरीय चयनित 186 मॉडल स्कूलो के खेल मैदानों का विकास किया जा सकता है। ग्राम पंचायत स्तरीय 9900 मॉडल स्कूलों के खेल मैदानों के विकास हेतु जिला स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत कार्य इससे लेने तथा शेष कार्य अन्य मदों/योजनाओं से लेते हुए कार्य करवाने की योजना तैयार की जा सकती है।

विभागीय पत्रांक एफ 7(4) ग्रावि/नरेगा/एसई/परिसर/वृक्षारोपण/2014 दिनांक 16.05.14 (प्रति संलग्न) द्वारा अभिनव पहल के रूप में वर्ष 2014–15 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 राजकीय भवनों में वृक्षारोपण करने तथा 4 वर्ष की अवधि तक रख रखाव करने बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। अतः इन निर्देशों के अनुसार जिले के चयनित मॉडल स्कूल में वृक्षारोपण कार्य को वर्ष 2015–16 की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए यह कार्य करावें।

भवदीय

2/6/15

संलग्न–: उपरोक्तानुसार

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

PTO

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
4. निजी सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, ब्लाक–5, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
8. अधिशाषी अभियन्ता (ईजीएस), जिला परिषद, समस्त।

परि० निदे० एवं उपसचिव, ईजीएस